कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ ( ) / /प्रमुवसं/ 1867 दिनांक 11-4-07

परिपत्र

विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और यूनियनों, आम जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विभाग द्वारा मनोनित संस्थाओं जैसे ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ पर्यावरणीय विकास संस्था इत्यादि के सदस्यों के द्वारा समय–समय पर अनेक अभाव अभियोग लाये जाते है । यदि विभाग के कार्यरत प्रत्येक अधिकारी संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं के बारे में नियमिति रूप से सुनवाई कर उनकी समस्याओं का निराकरण तत्काल कर देते है तो इससे न केवल जनता एवं विभाग के बीच संवादहीनता की स्थिति दूर होगी बल्कि जनमानस में विभाग की छवि भी स्वच्छ एवं पारदर्शी हो सकेगी । जब समस्याओं का समाधान विभागीय स्तर पर नहीं होता है ऐसी स्थिति में जनता उनके अभाव अभियोगों को लेकर विभाग के विरूद्ध वन मंत्री एवं मुख्यमंत्री तथा जन अभियोग निराकरण संस्थाओं तक पहुंचती है एवं इस सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु विभागाध्यक्ष अथवा विभाग के प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी को बुलाया जाता है जिन्हें अक्सर समस्या की जडों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है ।

अतः यह निश्चित किया गया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में प्रत्येक माह के अभाव अभियोग को सुनवाई के लिये जन सुनवाई कार्यक्रम रखा जाये । **प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को अपरान्ह 2.00 बजे से 5.00 बजे के बीच** सम्बंधित अधिकारी उनके कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे तथा प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को जन सुनवाई दिवस निश्चित करेंगे । इस सुनवाई के दौरान सम्बंधित अधिकारी यथासंभव प्रयास करे कि उनके द्वारा समस्याओं के समाधान किये जाये एवं यदि वे सक्षम नहीं है तो किस स्तर पर उसका सही निराकरण होगा उस सम्बन्ध में उपर्युक्त सुझाव अभियोगकर्ता को देंगे । प्रत्येक कार्यालय में जन अभियोग को लिपिबद्ध करने के लिये एक पंजिका संधारित की जावेगी जिसमें अभियोगकर्ता का नाम–पता, अभियोग सम्बंधित विषय, निराकरण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय आवश्यक रूप से संधारित किये जायेंगे तथा किसी अधिनस्थ कार्यालय से समस्याओं के समाधान हेतु मामला उच्च कार्यालय को रेफरेन्स किया जायेगा तो उसका भी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा ।

इसके अतिरिक्त वन श्रमिक संघ, अधीनस्थ कर्मचारी संघ आदि का भी अभाव अभियोग के बारे में नियमित रूप से सुनसाई की जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जावे, इसके लिये प्रादेशिक क्षेत्रीय वनाधिकारी स्तरपर प्रत्येक पखवाडे में एक बार, उप वन संरक्षक से जिला स्तर के कार्यालय में महिने में एक बार , वृत स्तरीय वन संरक्षक कार्यालय में दो महिने में एक बार, प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में 3 महिने मे एक बार तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में 6 माह में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी तथा अधीनस्थ कर्मचारी तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा ।

यदि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से सुनवाई कर उनकी छोटी–मोटी समस्याओं का समाधान करते रहेगे तो निश्चित रूप से विभाग में स्वस्थ परम्परा कायम होगी । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकारी उनके नियमित दौरों के समय जब भी किसी स्थान पर रात्रि विश्राम करे उस समय आवश्यक रूप से अधीनस्थ कर्मचारियों को वहां पर बुलाकर उनकी कठिनाईयों एवं दिक्कतों के बारे में जानकारी लेवें एवं उनके वेतन स्थरीकरण, जांच आदि प्रकरणों के बारे में उनसे जानकारी लेकर एवं कार्यालय में लौटने के पश्चात आवश्यक रूप से उनका निराकरण कर दें तथा अगली बार कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दें जिससे कि अधिकारी कर्मचारी के बीच मधुर सम्पर्क सतत् बना रहे ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर
दिनांक 12.4.07